International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 1, Jan-Feb, 2023, Impact Factor: 7.326

समग्र शिक्षा अभियान : एक अध्ययन

नीता रजक

शोधार्थी, राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ

सार :

समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा को समग्र रूप से समाहित करती है इस अभियान के अन्तर्गत प्री–नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा आती है पुर्ववती योजनाये जैसे सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा अलग–अलग रूपों में कार्य करती रही है, परन्तु समग्र शिक्षा अभियान में इन्हें एकीकृत कर दिया गया है और इसे एक निरंतरता के रूप में लागु किया गया है। यह लेख समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाली विशेषताओं तथा दृष्टिकोण के अध्ययन को बताने की कोशीश करता है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई, वर्तमान में इसे 31 मार्च 2026 की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभ की गई एकीकृत योजना है। इस अभियान का मुख्य जोर दो T T शिक्षक (Teacher) प्रद्यौगिकी (Technology) पर ध्यान देकर स्कूली शिक्षा की गुणवता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा अभियान में तीन योजनाएँ समाहित है– (1) सर्व शिक्षा अभियान (SSA), (2) माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), (3) शिक्षक शिक्षा (TE)। इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत् विकास लक्ष्य (Sustainble Development Goal-SDG) के अनुसार प्री–नर्सरी से कक्षा 12वीं तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का एक और प्रमुख उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है।

Keywords : सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, सतत् विकास

परिचय :

समग्र शिक्षा अभियान की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई, वर्तमान में इसे 31 मार्च 2026 की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री–नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से देखने का प्रावधान है। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभ की गई एकीकृत योजना है। इस अभियान का मुख्य जोर दो T T शिक्षक (Teacher) प्रद्यौगिकी (Technology) पर ध्यान देकर स्कूली शिक्षा की गुणवता में सुधार करना है।

समग्र शिक्षा अभियान में तीन योजनाएँ समाहित है– (1) सर्व शिक्षा अभियान (SSA), (2) माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), (3) शिक्षक शिक्षा (TE)। इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत् विकास लक्ष्य (Sustainble Development Goal-SDG) के अनुसार प्री–नर्सरी से कक्षा 12वीं तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का एक और प्रमुख उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है।

वित्त पोषण :

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना के अन्तर्गत फंड शेयरिंग पैर्टन राज्यों और विद्यान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये 60:40 है। यह बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये 100% प्रयोजित है और पुर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये यह 90:10 के अनुपात में है।

व्यवसायिक शिक्षा

इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिये आवश्यक रोजगार और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने के लिये व्यवसायिक विषय की पेशकश की गई है।

यह योजना (समग्र शिक्षा) स्कुली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है, यह योजना स्कुली शिक्षा का प्री–नर्सरी से कक्षा 12 तक एक निरतंरता के रूप में मानती है।

समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा को समग्र रूप से समाहित करती है इस अभियान के अन्तर्गत प्री–नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा आती है पुर्ववती योजनाये जैसे सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा अलग–अलग रूपों में कार्य करती रही है, परन्तु समग्र शिक्षा अभियान में इन्हें एकीकृत कर दिया गया है और इसे एक निरंतरता के रूप में लागु किया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान :

सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2001–02 में की गई। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना रही है जिसमें केन्द्र और राज्यों का अनुपात 65:35 है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चो को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी तथा योजना के अन्तर्गत फ्री किताब और अन्य पाठ्य सामग्री मुफ्त उपलब्ध करवायी जाती थी। सर्वशिक्षा अभियान में मध्यान भोजन (Mid Day Meal) योजना से जोड़कर स्कूल में ही दोपहर में मुफ्त भोजन दिलवाया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान में छात्रों के साथ शिक्षको के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है।

सर्वशिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्न उद्देश्यों को रखा गया–

(i) वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिये स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र।

(ii) वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पुरी कर ले।

(iii) सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना।

(iv) जीवनोपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्वशिक्षा अभियान की विशेषताएँ

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रशिक्षित उद्देश्य के लिए ये एक ऐतिहासिक पहल है।

(i) इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ बालिकाओं पर विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान देना।

(ii) बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तके।

(iii) विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाना।

(iv) बालिकाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण।

(v) 50 प्रतिशत महिला शिक्षको की नियुक्ति।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण कार्य–

(i) प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) –

सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह कार्यक्रम राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रखण्डों में संचालित किया जा रहा है इसके अन्तर्गत वैसे बच्चे जो कमजोर है उन्हें उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराया गया।

(ii) ब्रेल पुस्तको का वितरण –

दृष्टिविहीन बालको को 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विज्युवल हैंण्डीकैप' के माध्यम से ब्रेल पुस्तको का वितरण किया गया।

(iii) **भाषा प्रयोगशाला** –

राज्य के शिक्षको को अंग्रेजी भाषा में रूचि उत्पन्न करने तथा उच्चारण को सही करने के उद्देश्य से राज्य के 30 जिलो में लिग्वललैब स्थापित हुआ।

(iv) कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय –

वर्ष 2004 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खण्डों में पहली से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं हेतु निःशुल्क आवास भोजन एवं शिक्षण की व्यवस्था की गई।

(v) इस प्रकार कई अन्य कार्य जैसे कल्प (कम्प्यूटर शिक्षा) कार्यक्रम लोक जम्बिश परियोजना। सभी के लिये शिक्षा तथा लहर कार्यक्रम जिसमें नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना था।

समग्र शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा (RMSA) को भी एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान की तरह भारत सरकार की प्रमुख योजना है। यह योजना मार्च 2009 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवता में सुधार लाना। इस योजना का क्रियान्वयन 2009–10 से आरंभ हुई जिसमें बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श कार्यान्वयन और धन सहायता शामिल है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वव्यापी बनाने तथा गुणवता सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू हुई। इस योजना के तहत प्रत्येक आवास से उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध करा कर 5 वर्ष के भीतर कक्षा में नामांकन अनुपात 75 प्रतिशत करने, सभी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवता में सुधार करना, महिला–पुरूष सामाजिक–आर्थिक तथा विकलांगता आधारीत बाधाओं को दूर करना इत्यादि।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य –

- इस योजना का उद्देश्य गुणवता युक्त माध्यमिक शिक्षा है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएँ, स्टाफ व मानदण्डानुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता।
- स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रत्येक 5 कि0मी0 की परिधि में माध्यमिक एवं प्रत्येक 7–10 कि0मी0 की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता।
- कोई बालक लिंगभेद, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अक्षमता एवं अन्य कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित ना हो।

इस प्रकार समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल में बाल वाटिका, स्मार्ट शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी इसके अलावा एक आधारभूत ढाँचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। वैसे छात्र जो दूर से आते है उनको माध्यमिक स्तर पर प्रतिवर्ष परिवहन सुविधा राशि भी प्रदान की जायेगी जो कि 16000/– रूपये होगी।

समग्र शिक्षा अभियान के कार्यन्वयन के लिये 2.94 लाख करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे इस योजना में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है बालिकाओं को हॉस्टल में सेनिट्री पैड की व्यवस्था करना, कस्तुरबा गाँधी विश्वविद्यालय का बारहवी कक्षा तक विस्तार किया जाना है।

समग्र शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित की जायेगी। 2. 94 लाख करोड़ रूपये के बजट में से 1.85 लाख करोड़ की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की होगी।

समग्र शिक्षा योजना से लगभग 116 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षको को लाभ प्राप्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

[1]. Samagra Shiksha, Department of school education & literacy, Ministry of education, Government of India
[2]. http://www.ssa.nic.in

[3]. Sarva Shiksha Abhiyan, framework for Implementation, published in 2011 at http://ssashagun.nic.in/docs/SSA-Frame-work.pdf and all the relevant documents accessible at http://ssashagun.nic.in/documents.html
[4]. Bare Act of Right to Education Act, 2009 and Model Rules under the Right to Education Act, 2009 accessible at: http://ssashagun.nic.in/docs/RTI_Model_Rules.pdf
[5]. CABE (2005).Universalisatin of Secondary education. New Delhi : MHRD
[6]. CABE (2005). Girls education and Common School System. New Delhi:
[7]. MHRD The World Bank (2009). Secondary Education in India: Universalisng Opportunity. South asia region: Human development unit www.mhrd.gov.in